समता ज्योति

वर्ष : 16 अंक : 08 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 अगस्त, 2025

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

आरक्षण पर बड़ी पहल की तैयारी

सिफारिश का उद्देश्य आरक्षण व्यवस्था में निष्पक्षता व नए सिरे से क्रीमी लेयर श्रेणी के पात्र तय करना

''क्रीमी लेयर'' की समान आय सीमा लागू करने पर विचार

अगर इन सिफारिशों पर सरकार आगे बढ़ती है तो यह बड़ी पहल होगी।

नई दिल्ली वीसी मामलों से जुड़ी संसदीय समिति ने केंद्र व राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र में कार्यरत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कर्मचारियों के लिए क्रीमी लेयर की समान आय सीमा लागू करने के प्रस्ताव पर विचार करने की सिफारिश की है। अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में हैं कि आगे वो क्या करती है। माना रहा है कि अगर इन सिफारिशों पर सरकार आगे बढ़ती है तो यह बड़ी पहल होगी।

समिति की सिफारिश का उद्देश्य आरक्षण की व्यवस्था में निष्पक्षता सुनिश्चित करना है और नए सिरे से यह तय करना है कि क्रीमी लेयर श्रेणी में कौन आता है। इस फैसले का कर्मचारियों की नियुक्ति और शिक्षण संस्थानों में नामांकन में असर पड़ सकता है।

वर्तमान में क्रीमीलेयर में शीर्ष सरकारी पदों वाले ओबीसी व्यक्ति, केंद्रीय और राज्य सेवाओं में वरिष्ठ अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारी, सशस्त्र बल अधिकारी, पेशेवर, व्यवसाय के मालिक, संपति के मालिक व निश्चित आय या धन सीमा से अधिक आय वाले लोग शामिल है।

कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) के लिए 2017 में समान आय सीमा के नियम निर्धारित किए गये थे, लेकिन निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न राज्य सरकार निकायों के लिए यह प्रक्रिया अभी भी लंबित थी।

मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत नॉन क्रीमीलेयर के ओबीसी को केन्द्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रेवश में 27 फीसदी आरक्षण मिलता है। राज्य सरकारों में यह प्रतिशत अलग-अलग होता है।

रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रस्ताव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शिक्षा, कार्मिक एवं प्रशिक्षण (डीओपीटी), कानूनी मामले, श्रम एवं रोजगार, सार्वजनिक उद्यम, नीति आयोग और राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) सहित कई मंत्रालयों और संगठनों के बीच विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया।

संसद की ओबीसी कमेटी ने की सिफारिश, अब सरकार के पाले में गेंद

संसद में पेश रिपोर्ट - भाजपा सांसद गणेश सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने बीते शुक्रवार को संसद में पेश आठवी रिपोर्ट में बताया कि क्रीमीलेयर में पिछली बार आय सीमा 6.5 लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपए प्रतिवर्ष 2017 में की गई थी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के नियमों के अनुसार इस सीमा की समीक्षा हर तीन वर्ष में या आवश्यकता अनुसार उससे पहले की जानी चाहिए।

आठ लाख है क्रीमी लेयर की आय सीमा

ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर का विचार 1992 के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में शीर्ष कोर्ट के फैसले के बाद सामने आया था। इसे ओबीसी समुदाय के अधिक विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को आरक्षण के लाभों से वंचित करने के लिए पेश किया गया था। सरकारी नौकरियों से बाहर काम करने वालों के लिए आय सीमा 1993 में एक लाख रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की गई थी। बाद में इस सीमा को कई बार संशोधित किया गया। आखिरी बाप 2017 में इस सीमा को बढाकर आठ लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया और यह अब भी लागू है।

प्रोफेसर-शिक्षाकर्मी पर ज्यादा असर

सूत्रों के अनुसार प्रोफेसरों सहित विश्वविद्यालयी शिक्षण कर्मचारियों का वार्षिक वेतन आमतौर पर लेवल 10 लाख या उससे ऊपर से शुरू होता है, जो ग्रुप-ए के सरकारी पदों के बराबर या उससे अधिक होता है। प्रस्ताव में इन पदों को 'क्रीमी लेयर' के अंतर्गत वर्गीकृत करने का सुझाव दिया गया है, जिसका अर्थ है कि उनके बच्चे ओबीसी आरक्षण के लाभों के पात्र नहीं होंगे।

ओबीसी मामले में राज्य की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में, बढ़ायी गयी स्टे की मियाद

नयी दिल्ली/कोलकाता। ओबीसी मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। चीफ जस्टिस बी आर गवयी से इसकी तत्काल सुनवायी की जाने की अपील की गई। इधर हाई कोर्ट के जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजाशेखर मंथा के डिविजन बेंच ने ओबीसी के बाबत राज्य सरकार की अधिसूचना पर लगाए गए स्टे की अवधि को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया। डिविजन बेंच ने सुनवायी के बाद यह आदेश दिया। एडवोकेट अमृता पांडे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में ओबीसी को ए और बी वर्ग में वर्गीकरण कर दिया गया है। इस नये वर्गीकरण में और 77 जतियों को जोड़ दिया गया है। इसके खिलाफदायर रिट पर सुनवायी के बाद जस्टिस चक्रवर्ती के डिविजन बेंच ने इस पर स्टे लगा दिया था। इसकी मियाद 31 जुलाई

थी। डिविजन बेंच ने इसे बढ़ा कर 31 अगस्त कर दिया है।

डिविजन बेंच ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आने तक 2010 की व्यवस्था पर अमल किया जाए।

राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस से इसकी तत्काल सुनवायी की जाने की अपील की। उनकी दलील थी कि इस वजह से नियुक्तियां थम गई हैं और कालेजों में दाखिले पर भी एक अनिश्चय छाया हुआ है। एडवोकेट सिब्बल ने इस सिलसिले में कई जजमेंट का हवाला दिया। चीफ जस्टिस गवयी ने कहा कि इंदिरे सहाय मामले के जजमेंट के मुताबिक शासन को ओबीसी की पहचान करने का अधिकार है। इसके साथ ही कहा कि इस मामले में एक कंटेंप्ट पीटिशन भी दायर हुआ है और इस पर स्टे लगाया जाए। हाई कोर्ट ने 17 जून को स्टे लगाया था। ए और बी वर्ग वाली अधिसूचना पर टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि इसमें पिछले दारवाजे से उन्हीं समुदाय को ओबीसी में लाने की कोशिश की गई है जिन पर हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है।

अध्यक्ष की कलम से

''कर्मचारी संतुलन''

साथियों,

ग्रामीण भाव की दो पंक्तियाँ जब-तब याद आ जाती हैं-''हम तनक-भनक तुम बहुत बड़े, हमने हंसी करी तुम रोई पड़े'' जो ततैये नामक छोटे से कीट के लिये कही जाती रहीं है।

कुछ ऐसा ही अनुभव हाल ही हुआ जब हमने प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एस एम एस में कर्मचारियों (आरक्षित) के जातीय असंतुलन को सही करने के लिये चिकित्सा मंत्री को औपचारिक पत्र लिखा।

पत्र जारी होते ही प्रदेश में शंकित मीणा जनजाति के लोगों ने अपनी कृत्रिम बेचैनी का प्रदर्शन करने के लिये एक तरह से खूब ऊधम मचाया। प्रदर्शन, मार्च, पुतला फूंकना तक तो रूटीन रहा, किंतु इस समाज के सांसद, विधायक, अफसर घंटों बैठकर माथापच्ची करते रहे कि कैसे समता आन्दोलन के नंदी को नाथा जावे।

समता आन्दोलन भी सक्रिय हुआ तो हमारे एस सी प्रकोष्ठ ने विधिवत पत्र जारी करके अपना समर्थन घोषित किया। सामाजिक संगठन ने सोशल मीडिया और मुख्यमंत्री जनसुनवाई के माध्यम से माँग उठाई कि सरकार और पार्टी के विधायक व सांसद अपनी जाति के लोगों को नियंत्रित रखें।

सभी प्रयासों का सकारात्मक असर हुआ और प्रदेश का माहौल बिगडने से बचा है। अब सभी 200 विधायकों को पत्र भेजकर एस एम एस में कर्मचारियों के असंतुलन को रोकने की प्रार्थना की गई है।

जय समता-विजय समता ।

सम्पादकीय

''जाति आरक्षण बनाम धौंसपट्टी''

हाल ही सोशल मीडिया पर कोटा के डॉ. अनिल शर्मा ने एक प्रश्न उठाती पोस्ट भेजी- ''देश राष्ट्रपति दलित, प्रधानमंत्री पिछड़ा, मुख्य न्यायाधीश दलित, तो फिर देश से आरक्षण समाप्त क्यों नहीं? '' कुछ इस तरह के भाव वाली पोस्ट को बहुत कम लोगों ने 'लाईक' किया? जबकि देश की लगभग आधी आबादी तो 78 सालों से जाति आरक्षण के दंश से घायल है। स्पष्ट है कि आरक्षण को लेकर पूरे देश में एक परोक्ष आतंक फैला दिया गया है। साफ कहें तो धौंसपट्टी।

इससे पहले जब की श्री कोविद राष्ट्रपति बने थे तब उन्हें बधाई पत्र भेजकर साथ में निवेदन किया गया था कि आप आरक्षण का लाभ लेकर देश की सबसे ऊँची और पहली कुर्सी पर पहुँच चुके हैं। अत: कृपा करके अब तो अपना जाति प्रमाण पत्र वापस लौटा दें। पत्र का कोई जवाब नहीं। फिर आर टी आई के बाद जबाब आया कि आपका पत्र फाईल कर दिया गया है !! इसे क्या कहा जाये?

शिखर से लेकर तले तक जाति आरक्षण एक घोषित धौंसपट्टी बन चुका है। इसका एक उदाहरण बगरू विधानसभा (आरक्षित) सीट पर भूमाफियाओं ने बड़ के बालाजी मंदिर की माफी की जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की तो रेवेन्यू स्टे के बाद भी क्षेत्र के एस डी एम ने राजनैतिक दबाव के चलते पुजारी को धमकी भरा नोटिस जारी कर दिया?

फेसबुक पर डी आई जी रैंक के पुलिस अफसर जुगल किशोर ने वीडियो में बताया कि एससससी-एसटी एक्ट को लाभकारी धंधा बना दिया गया है। उन्होने बिना नाम लिये एक वकील का उल्लेख किया जो इस धंधे से नकली शिकायत करके दस लाख रूपये कमा चुका है। इसी विषय पर समता आन्दोलन के अध्यक्ष पूरे प्रदेश के मंचों से कह रहे हैं कि इस एक्ट में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। डीआईजी ने भी कहा कि इस तरह के 85 प्रतिशत केस ओबीसी के खिलाफ और 15 प्रतिशत सामान्य वर्ग के खिलाफ धन ऐंठने की दृष्टि से कराये गये हैं।

पूरे प्रदेश और फिर देश के आँकड़ों पर शोध की जाये तो हालत भयावह है। और दूसरी तरफ देश को आजाद करवाने के लिये अपना तन, मन, धन लुटाने वाले कथित सामान्य वर्ग को कदम-कदम पर झूठे तानों से प्रताडित और लाछित किया जा रहा है? यह धौंसपट्टी की परम पराकाष्ठा है।

इसी जाति आरक्षण के ज़हर को फैलाकर कथित राजनेताओं और कथित राजनैतिक पार्टियो ने भारत के लोकतंत्र को पूरी तरह पार्टीतंत्र में बदल दिया है। इन पार्टियों की विचारणा में अब केवल एससी, एसटी, ओबीसी, एम बी सी आदि वर्ग है। कोई भारतीय नागरिक नहीं है। कल्पना करें कि विगत 78 सालों में कथित सवर्णों की तीन पीढियों ने जो बलिदान संवैधानिक रूप से दिया है वह यदि एकदम पूंजीभूत हो गया तो देश को खून खराने से भला कौन बचा पायेगा। समय आ गया है कि धौंसपट्टी बने जाति आरक्षण को समाप्त किया जाये।

जय समता, विजय समता

-योगेश्वर झाड़सरिया

जाति आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट

जाति आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट क्या परस्पर पर्यायवाची शब्द है? यह प्रश्न रह-रह कर मन में कौंधने लगा है। मौटे तौर पर दोनों ही एससी/एसटी से संबंधित होने के कारण समान लगते हैं। लेकिन आरक्षण और अत्याचार में अन्तर ये हो गया कि जाति आरक्षण में मंडल आयोग के कारण ओबीसी भी जुड़ गया। शायद यही कारण रहा कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तक बांध दी गई। इससे एक तरह का जन संतुलन सा बन गया। अर्थात कुल आबादी का आधा भाग जाति आरक्षण का अधिकारी है, तो शेष खुला मंच जहाँ आरक्षित वर्ग के लोग भी आ सकते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि विकास और शिक्षा के विस्तार ने आरक्षित वर्ग में एक नई चेतना का विकास किया जिसके बल पर वे खुले मंच पर भी अधिकार पूर्वक विचरण करने लगे। इससे एक असंतुलन बनने की संभावना बनी तो सरकारों ने नया पैतरा चल कर सरकारी नौकरियों में 40 से 50 प्रतिशत तक कटौती कर दी। परिणाम ये हुआ कि दोहरी मार झेलते हुए कथित सामान्य वर्ग हाशिये पर चलता गया और आरक्षित वर्ग का वर्चस्व बढता गया।

देश जब चलता है तो उसके लिये जन संतुलन पहली और केवल पहली शर्त है। आज भी दुनिया के जो देश गृह युद्ध से मटियामेट होकर फिर से खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं वहाँ-वहाँ पर जन संतुलन एक तरफा हो गया था या यूं कहे कि किताबी बातों तक सीमित रह गया था। भारत के संदर्भ में अभी ये हालात नहीं बन पाये हैं। इसके दो कारण है। एक तो लोगों की धर्म और भगवान में अटूट आस्था और दूसरा लोगों द्वारा अदालतों को भगवान का घर मानना। अदालतों के आदेश को अभी भी भारत के लोग परमेश्वर का वचन मानते हैं भले ही न्याय के मंदिर मात्र निर्णय के आगार बनकर रह गये हों।

न्याय के प्रति इस अगाध श्रद्धा के कारण ही लोग दस, बीस, तीस साल ही नहीं वरन तीन-तीन पीढियों तक प्रतिक्षा कर लेते हैं। और न्याय की जगह निर्णय पाकर भी संतुष्ट हो जाते है। इस तथ्य को भारत के कथित राजनेताओं और उनकी पार्टियों ने पिछले सालों में खूब भुनाया है, और राजसुख भोगा है। आज हालात ये है कि लोकतंत्र में लोक भूल-भूलैया में भटक रहा है और नेता उसी इमारत की छत पर बैठकर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। देश और देशभक्ति नामक शब्द अजूबे बना दिये गये हैं और स्वार्थ तथा हिंसा का नया अलिखित संविधान जनता पर थोप दिया गया है।

देश जब चलता है तो उसके लिये जन संतुलन पहली और केवल पहली शर्त है। आज भी दुनिया के जिन देशों में गृह युद्ध से मटियामेट होकर फिर से खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं वहाँ-वहाँ पर जन संतुलन एक तरफा हो गया था या यूं कहे कि किताबी बातों तक सीमित रह गया था।

कहा सुना जाता है कि अंग्रेज अफसरों ने देश को आजादी देते समय विचार प्रकट किये थे कि ये देश एक इकाई के रूप में शायद ही अपनी यात्रा पूरी कर पाये। आज के हालात पर नजर दौड़ायें तो लगता है कि अंग्रेजों ने सही ही कहा था। सच में अकेले जातिवाद ने देश को ऐसे अंधकारमय मार्ग पर धकेल दिया है जिसका कोई छोर रोशनी से जुड़ा दिखाई नहीं देता है। आजादी के कड़े संघर्ष से तपे लोग या उनके वंशज जब तक निर्णायक रहे तब तक देश दरिद्र होते हुए भी खुशहाल और गतिशील था। आज एक ऐसी पीढी देश को चलाने का दम भर रही है जिसका तपना तो दूर आजादी के संघर्ष पर विश्वास तक नहीं है। ये आपाधापी और स्वार्थ में डूबे नेता न जाने कौनसा नया भारत चाहते है जबकि पुराने भारत का चित्र तक इनके पास नहीं है।

जात आरक्षण से जब देश की व्यवस्था प्राय: पूरी तरह चरमरा गई तब नये घातक हथियार के रूप में एट्रोसिटी एक्ट को देश पर मात्र दो लोगों ने थोप दिया। आज देश के सारे सुधि लोग जानते है कि मात्र इन दो बीमार मानसिकता के नेताओं के चलते यह काला अधिनियम देश पर थोप दिया गया है। यह लिखने और कहने में कोई संकोच इसलिये नहीं है कि पूरे देश को मध्यकालीन अराजकता के दौर में पहुंचा देने वाले इस एससी/एसटी एट्रोसिटी एक्ट पर संसद के दोनों सदनों में एक घण्टे भी बहस नहीं हुई और इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया? क्या लोकतंत्र की किसी भी परिभाषा में इसे सही कहा जा सकता है? चाय की दुकान पर बैठने वाले चार-पांच लोग भी कभी किसी मुद्दे पर एक मत नहीं होते और देश की 742 लोगों की संसद बिना बहस के एकमत से विधेयक पास कर देती है? इसे लोकतंत्र कहना भी चाहे तो भला कैसे?

सच में अकेले जातिवाद ने देश को ऐसे अंधकारमय मार्ग पर धकेल दिया है जिसका कोई छोर रोशनी से जुड़ा दिखाई नहीं देता है।

पुराने एट्रोसिटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने मात्र मानवीय गरिमा की अन्तर्राष्ट्रीय व्याख्या और भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुसार मात्र इतना सा सुझाव दिया था कि बिना जांच के गिरफ्तारी न हो और अधिकतम सात दिनों में जांच कर ली जावे। न्यूनतम की कोई शर्त न थी। इससे भड़ककर देश में नकली एससी/एसटी ने जो हिंसक ताण्डव किया उससे सरकार के हाथ-पैर ऐसे फूले कि उसने नये विधेयक-को और भी खूंखार और विभाजक बना डाला। वो भी मात्र 22.50 प्रतिशत वोटों की खातिर। तो क्या शेष 77 प्रतिशत संविधान की सीमा से बाहर है? इस तरह से जन संतुलन का कौनसा सिद्धान्त पूरा होता है? पहले प्रशासनिक संतुलन को तोड़ने के लिए जातिवाद का सहारा लिया गया अब देश को तोड़ने के लिए एट्रोसिटी एक्ट का मार्ग अपनाया जा रहा है? ये कहां की सरकार और संसद है भाई जो शांति और सहकार के स्थान पर विखण्डन और बिखराव को अपना आदर्श मानकर चल रही है?

जाति आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट आज के हालातों में किसी भी तरह से सहीं नहीं है। मात्र बीमार मानसिकता के नेताओं पर देश का भविष्य नहीं छोड़ा जा सकता। शायद इसीलिए देश के कोने-कोने में आग लगी हुई है। भले केन्द्र सरकार हिंसा फैलाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती हो परंतु पूरे देश की जनता किसी एक पार्टी की जागीर कभी नहीं हो सकता। जहां हो सकता है वहाँ थ्येन मान मन चौक जैसा खून-खराबा होता है।

केन्द्र सरकार और संसद यदि ऐसा कोई मनसूबा रखती है तो वो कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। भले ही अब गांधी, जयप्रकाश का प्रभाव नहीं है। पर भारत फिर से किसी गांधी या जयप्रकाश को खड़ा करने में हिचकिचाता भी नहीं है। सावधान संसद, जनता जाग रही है।

-समता डेस्क

पौराणिक कथन: 'शबरी'

शबर जाति की अहिंसक नारी जिसे मतंग ऋषि से ज्ञान प्राप्त हुआ और भगवद्भक्त बनी।

सबने मिल जो देश रचा है,
वो अब केवल जात बचा है।
संविधान बस दिखे मुखौटा,
असमंजस उन्माद चचा है ।।

'समता आन्दोलन के सदस्य बने और बनाएं'

कविता

''चार मुक्तक''

(1)

वे कहते मौसम बढ़िया है,
हम धूपों में झुलस रहे हैं ।
जिनपर जिम्मेदारी हम की,
सब एकल खुश हुलस रहे हैं।
राज प्रजा का सिर्फ दिखावा,
बड़ी सभा दिखती मरगिल्ली।
मन करता है कर ही डालें,
इस सिस्टम की टिल्ली ली ली।।

(2)

मंत्र ज़ात का जपने वाले,
जातिवाद की करें जुगाली।
इन लोगों का नामकरण हो,
गुंडा लंफ्ट और मवाली।
बरस अठत्तर बीते फिर भी,
वो फसल ज़ात की नहीं फली ।
अचरज में आ सोचे जनता,
धौंस दपट हो टिल्ली ली ली।।

(3)

एस सी एस टी ओ बी सी,
संविधान की नयी ज़ात हैं।
गुण गरिमा को कौन गिने जब,
सारे लंपट इक ज़मात हैं।
सबने मिल जो देश रचा है,
जात हिलाती उसकी किल्ली।
धौंस दपट खुल खेल खेलती,
गुण की गरिमा टिल्ली ली ली।।

(4)

संविधान में नहीं लिखा है,
जात पाँत आरक्षण देना।
वे सवर्ण का भाग्य लूटते,
समझें मानो चना चबैना।
बहुत हुआ है अब न सहेंगे
मर्यादा की जलती होली ।
तान के मुट्ठी कहो ज़ोर से,
हम पलटेंगे टिल्ली ली ली।।

.. वाई एन शर्मा ..

कर्नाटक में अनुसूचित जाति आरक्षण में बड़ा बदलाव, तीन भागों में बंटी अनुसूचित जातियाँ

न्यायमूर्ति एचएन नागमोहन दास आयोग ने चार अगस्त को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एससी वर्ग के आंतरिक आरक्षण से जुड़ी अपनी 1766 पृष्ठों की रिपोर्ट सौंपी थी और इसे सात अगस्त को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया था। कैबिनेट इसे पारित कर दिया है।

कर्नाटक में अनुसूचित जातियों को आंतरिक आरक्षण दिया जाएगा। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की विशेष बैठक में मंत्रिमंडल ने आंतरिक आरक्षण से जुड़ी न्यायमूर्ति एचएन नागमोहन दास आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों पर चर्चा की। कैबिनेट ने आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करने का फैसला किया, लेकिन इसमें कुछ बदलाव भी किए गए।

कर्नाटक के विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि कैबिनेट की बैठक अच्छी रही और सभी अनुसूचित जाति समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री संतुष्ट हैं। बैठक लगभग ढाई घंटे तक चली। हम सभी कैबिनेट हॉल से खुश और संतुष्ट होकर बाहर आए हैं। राज्य विधानमंडल का सत्र चल रहा है और विवरण का खुलासा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मुख्यमंत्री सदन में सरकार की ओर से बयान देंगे।

वहीं पिछड़ा वर्ग विकास मंत्री शिवराज तंगदागी ने कहा कि अनुसूचित जातियों के बीच तीन समूह बनाकर आंतरिक आरक्षण तय किया गया है। इसमें दक्षिणपंथी, वामपंथी और अन्य शामिल हैं। उन्होंने कैबिनेट के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इन तीन श्रेणियों के लिए क्रमशः छह, छह और पांच प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। विस्तृत चर्चा के बाद हम सभी ने इसे स्वीकार कर लिया।

उन्होंने कहा कि आयोग ने समूह ए के अंतर्गत वर्गीकृत सबसे पिछड़े समुदायों को स्पृश्य दलितों (भोवी, बंजारा, कोरमा और कोरचा) के समूह में जोड़ा गया है। जबकि आयोग के समूह ई को समूह बी और सी में जोड़ा गया है।

आयोग ने सीएम को सौंपी थी रिपोर्ट

न्यायमूर्ति एचएन नागमोहन दास आयोग चार अगस्त को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को अपनी 1766 पृष्ठों की रिपोर्ट सौंपी थी और इसे सात अगस्त को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया था। राज्य में आंतरिक आरक्षण का उद्देश्य 101 अनुसूचित जातियों को दिए गए 17 प्रतिशत आरक्षण मैट्रिक्स को कम करना है।

आयोग ने कथित तौर पर पांच श्रेणियों में आंतरिक आरक्षण के लिए सिफारिश की थी। इसमें सबसे पिछड़े समुदाय (समूह ए) को एक प्रतिशतय एससी (वाम)मडिगा समुदाय (समूह बी)में छह प्रतिशत एससी (दक्षिणपंथी) होलेया (समूह सी) पांच प्रतिशतय 'स्पृश्य' समुदाय (समूह डी) चार प्रतिशत, और आदि कर्नाटक, आदि द्रविड़ और आदि आंध्र समुदाय (समूह ई) को एक प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की गई। आयोग की रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं की गई।

कैबिनेट ने किया बदलाव

कैबिनेट ने सिफारिशों में कुछ बदलाव किया है। इसके तहत अनुसूचित जातियों को प्राप्त 17 प्रतिशत आरक्षण में से कैबिनेट द्वारा विकसित आंतरिक आरक्षण फार्मूले के अनुसार अनुसूचित जाति (दक्षिणपंथी) और अनुसूचित जाति (वामपंथी) को 6-6 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, जबकि 'स्पृश्य' दलित समुदायों (लम्बानी, भोवी, कोरमा और कोरचा) और अति पिछड़े तथा खानाबदोश समुदायों को पांच प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

पिछले साल शुरू की गई थी प्रक्रिया

सरकार ने पिछले वर्ष नवंबर में आंकड़े जुटाकर अनुसूचित जातियों में आंतरिक आरक्षण की सिफारिश करने के लिए न्यायमूर्ति नागमोहन दास आयोग का गठन किया था। यह कदम पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्यों को आंतरिक आरक्षण प्रदान करने की अनुमति दिए जाने तथा कर्नाटक मंत्रिमंडल द्वारा आंतरिक आरक्षण लागू करने पर सहमति जताए जाने के बाद उठाया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि राज्यों को सामाजिक रूप से विषम वर्ग बनाने वाली अनुसूचित जातियों के भीतर उप.वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, ताकि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण दिया जा सके।

मध्यप्रदेश : प्रमोशन में आरक्षण देने पर रोक बरकरार, अब राज्य सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल भी रखेंगे पक्ष

भोपाल। सरकार की तरफ से नई नीति के तहत प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चार याचिका दायर की गई थी। याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की तरफ से बताया गया कि शासन की तरफ से मामले में भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तथा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन पक्ष प्रस्तुत करेंगे। शासन की तरफ से उनकी उपस्थिति के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया गया। युगलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 9 सितम्बर को निर्धारित की है।

याचिकाकर्ता भोपाल निवासी वेटनरी डॉक्टर स्वाति तिवारी व अन्य तीन की तरफ से दायर याचिकाओं में कहा गया था कि आरक्षित वर्ग को नियम 2025 के तहत प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। साल 2025 में बनाए गए नए नियम तथा साल 2022 के नियमों को कोई अंतर नहीं है। याचिकाकर्ता की गया था कि प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में यथास्थिति के आदेश जारी किए थे। इसके बाद प्रदेश सरकार ने संशोधित नियम 2025 के तहत प्रमोशन के आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया था। प्रदेश सरकार के तरफ से गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। याचिका में कहा गया कि नए तथा पूराने नियम एक सामान्य है।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एम नटराजन तथा जरनैल सिंह मामले में पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा गया था कि आरक्षित वर्ग को प्रमोशन प्रदान करना चाहिए, जब उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो। इसके अलावा उनके प्रमोशन से किसी प्रकार की प्रशासनिक बाधा उत्पन्न नहीं हो। सर्वोच्च न्यायालय ने एक अन्य मामले में आदेश दिए हैं कि एससी-एसटी वर्ग के क्रीमी लेयर वाले कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण नहीं प्रदान किया जाए।

सरकार के पास आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का डाटा उपलब्ध नहीं है। क्रीमी लेयर में आने वाले एससी एसटी वर्ग को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से आरक्षण प्रदान करते हुए कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं देने के संबंध में अंडरटेकिंग दी थी। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से उक्त जानकारी के साथ कर्मचारियों से संबंधित चार्ट प्रस्तुत किया था। युगलपीठ ने शासन को निर्देशित किया है कि कर्मचारियों के संबंध में पेश किया गया चार्ट सेंसेक्स,प्रदेश की जाति गणना या कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के आधार पर बनाया गया है। इस संबंध में जानकारी पेश करें। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आर पी सिंह तथा अधिवक्ता सुयश मोहन गुरु ने पैरवी की।

गरीबों से हो रहा आरक्षण का अन्यायः शांता कुमार

कांगड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि भारत में गरीबों की सहायता के नाम पर बनी आरक्षण व्यवस्था में उसी जाति के कुछ गरीबों से लगातार भयंकर अन्याय हो रहा है।

उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने एससी और एसटी आरक्षण से क्रीमीलेयर को बाहर करने संबंधी याचिका को दाखिल करने वाले रामशंकर प्रजापति को बधाई दी और इस पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद। शांता कुमार ने कहा कि एससी और एसटी वर्ग को विशेष आरक्षण दिया गया है, लेकिन उसका अधिकतर लाभ उन्हीं वर्गों के प्रभावशाली और अमीर लोग उठा रहे हैं। इन वर्गों में कुछ गरीब आज भी आरक्षण का लाभ नहीं ले पाए।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पहले भी सरकार को आरक्षित वर्गों में क्रीमीलेयर अलग करने का सुझाव दे चुका है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में उनकी सरकारों के समय शुरू की गई अंत्योदय योजना से यह निर्णय अपने आप लागू हो गया था।

एस.एस.एस. में मीणा समुदाय के कार्मिकों की संख्या सीमित की जाए: समता आन्दोलन

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने चिकित्सा मंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि एसएमएस हॉस्पिटल में मीणा समुदाय के कार्मिकों अधिकारियों की संख्या लगातार सुनियोजित तरीके से बढ़ाई जा रही है और किसी-किसी सेवा संवर्ग में इनका प्रतिनिधित्व 20 प्रतिशत से भी अधिक हो चुका है। इस समुदाय के कार्मिक/अधिकारी एकजुट होकर दूसरे समुदाय के कार्मिकों/अधिकारियों को परेशान करने में लगे हुए हैं, स्वयं आरामखोरी करते हैं और अपना काम दूसरे लोगों से करवाने का दबाव बनाते हैं। इस कारण एसएमएस हॉस्पिटल की चिकित्सकीय सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं।

वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी के सेवा संवर्ग में मीणा समुदाय के अधिकारियों की संख्या लगभग 20 प्रतिशत हो रही है। पिछले 15 वर्षों में मुख्य नर्सिंग अधीक्षक के पद पर अधिकांश समय मीणा समुदाय के अधिकारी ही काबिज रहे हैं जिसका दुष्परिणाम पूरी नर्सिंग सेवाओं पर पड़ रहा है। अपने समुदाय के कार्मिकों/ अधिकारियों को यह लोग राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करके आसपास के क्षेत्र से एसएमएस हॉस्पिटल में स्थानांतरित करवाते जा रहे हैं। इस कारण अन्य समुदाय के कार्मिक अधिकारी परेशान रहते हैं, दबाव में रहते हैं, ओवरलोड रहते हैं। परिणाम स्वरूप एसएमएस हॉस्पिटल की चिकित्सकीय सेवाएं चरमरा रही हैं।

पत्र में प्रार्थना की गई है कि उपरोक्त तथ्यों की निष्पक्ष स्वतंत्र जांच करवा कर:-

1. मीणा समुदाय के कार्मिकों अधिकारियों की संख्या को 5 प्रतिशत तक सीमित कर दिया जाए, क्योंकि राजस्थान में इनकी जनसंख्या 5 % से अधिक नहीं है।
2. मुख्य नर्सिंग अधीक्षक के पद पर अब किसी अन्य समुदाय के योग्य एवं वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी को नियुक्ति दी जाए।
3. आप यह जानते हैं कि मीणा समुदाय को किसी भी तरह का आरक्षण लाभ देने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर बेंच ने फरवरी 2014 में राज्य सरकार को पाबंद किया हुआ है फिर भी दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की जा रही है। आप कृपया अब राजस्थान उच्च न्यायालय के फरवरी 2014 में सुगनलाल भील बनाम राज्य सरकार के प्रकरण में दिए गए आदेश की पालना सुनिश्चित करावें ताकि प्रदेश के वास्तविक आदिवासियों को आरक्षण एवं सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके और एसएमएस हॉस्पिटल जैसे उच्च श्रेणी के संस्थाओं की सेवाओं की गुणवत्ता में गिरावट को रोका जा सके। पत्र की प्रति सभी विधायकों को भी भेजी गई।

बिल्कुल आशा नहीं थी कि प्रदेश के सबसे बड़े एस एम एस अस्पताल में कर्मचारियों की संख्या संतुलन के लिये अध्यक्ष, समता आन्दोलन ने जो साधारण सा पत्र स्वास्थ्य मंत्री को लिखा था उस पर शंकित जनजाति मीणा समाज के लोग इतना तीव्र विरोध करेंगे कि चाँद विहारी नगर के प्रदेश मुख्यालय और डाक के पते हीरा नगर ए पर दिन भर पुलिस की चौकसी बैठानी पड़ी।

साफ लगता है कि शंकित जनजाति मीणा समाज के लोगों का मन साफ नहीं है। करोली, कोटा, जोधपुर,, दौसा आदि में धमकी और प्रदर्शन किये गये। जगह-जगह मीणा समाज के संगठनों ने विषय को समझे बिना विरोध का झंडा उठा लिया। और जैसा कि होता आया है विधायक, सांसद और बड़े अधिकारी समता आन्दोलन के उच्च अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करवाने के लिये घंटों माथापच्ची करते रहे।

दूसरी तरफ विप्र समाज के सुनील उदैया और चाणक्य गण समिति तो सक्रिय हुए ही। एससी प्रकोष्ठ ने पत्र जारी एम एम एस की समस्या पर मोहर लगा दी। यहाँ तक कि भीलों ने तथ्यों के आधार पर सार्वजनिक मांग की है कि भीलों को मीणा से अलग किया जाए। समता प्रतिनिधी मंडल स्वास्थ्य मंत्री से व्यक्तिगत मिला और मुख्यमंत्री जनसुनवाई में उपस्थित होकर माँग उठाई कि शंकित जनजाति मीणा समाज के विधायक और सांसद अपने समाज के लोगों को संयम बरतने का संदेश दें ताकि प्रदेश की शांति व्यवस्था बनी रहे।

इधर समता आन्दोलन ने भी कमर कस कर अपनी सक्रियता बढा दी। पता लगा है कि जोधपुर हाईकोर्ट में सुप्त पड़े निर्णय को फिर सक्रिय किया जा रहा है। आन्दोलन धौंस दपट से अलग संवैधानिक शुचिता के लिए काम करता रहा है और आगे भी करता रहेगा।

छिड़ सकती है नई बहस

एससी/एसटी/ओबीसी को आय आधारित आरक्षण की याचिका मंजूर

दशकों से आरक्षण के बावजूद आर्थिक रूप से सबसे वंचित लोग अकसर पीछे छूट जाते हैं और आरक्षित श्रेणियों के अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति वाले लोग लाभ उठाते है

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर विचार करने पर अपनी सहमति दे दी है, जिसमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण की अधिक न्यायसंगत व्यवस्था के लिए नीतियां बनाने का केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने रमाशंकर प्रजापति और यमुना प्रसाद की जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है और 10 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मसले पर सुनवाई करने के लिए सहमति देने के बाद देश में आरक्षण पर नई बहस छिड़ सकती है।

पीठ ने भी याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि वह भारी विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि इस जनहित याचिका के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता संदीप सिंह के माध्यम से जनहित याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि यह दृष्टिकोण संविधान के अनुच्छेद 14ए 15 और 16 को मजबूत करेगा और मौजूदा आरक्षण सीमा में बिना किसी छेड़छाड़ के समान अवसर सुनिश्चित करेगा।

> वर्तमान प्रणाली इन समूहों में अपेक्षाकृत समृद्ध आर्थिक स्तर और उच्च सामाजिक स्थिति वाली पृष्ठभूमि से संबंधित लोगों को असमान रूप से लाभान्वित करती है, जबकि आर्थिक रूप से सबसे वंचित सदस्यों के लिए अवसरों तक सीमित पहुंच होती है।

आरक्षण के बावजूद वंचित लोग पीछे

याचिका में कहा गया है कि दशकों से आरक्षण के बावजूद, आर्थिक रूप से सबसे वंचित लोग अकसर पीछे छूट जाते हैं और आरक्षित श्रेणियों के अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति वाले लोग इसका लाभ उठाते हैं लेकिन आय के आधार पर प्राथमिकता देने से यह सुनिश्चित होगा कि मदद वहीं से शुरू हो जहां आज इसकी सबसे अधिक जरूरत है। जनहित याचिका में कहा गया है, अनुसूचित जाति और ओबीसी श्रेणियों से संबंधित याचिकाकर्ता, वर्तमान याचिका के माध्यम से इन समुदायों के भीतर आर्थिक असमानताओं को उजागर करना चाहते हैं, जिसके कारण मौजूदा आरक्षण नीतियों के तहत लाभों का असमान वितरण हुआ है।

मौजूदा व्यवस्था में कई विसंगतियां

याचिका में यह तर्क भी दिया गया है कि आरक्षण की रूपरेखा शुरू में ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के उत्थान के लिए शुरू की गई थी, लेकिन वर्तमान प्रणाली इन समूहों में अपेक्षाकृत समृद्ध आर्थिक स्तर और उच्च सामाजिक स्थिति वाली पृष्ठभूमि से संबंधित लोगों को असमान रूप से लाभान्वित करती है, जबकि आर्थिक रूप से सबसे वंचित सदस्यों के लिए अवसरों तक सीमित पहुंच होती है।

अब समय आ गया है कि इस पर.....

जस्टिस कांत ने कहा कि अनुसूचित जातिए अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कई लोग आरक्षण के माध्यम से सरकारी नौकरियों की उच्च श्रेणियों में प्रवेश करके सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो सकते हैं और अपने बच्चों को सर्वोत्तम शिक्षा और सुविधाएँ प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि इस पर विचार किया जाए कि क्या ऐसे वर्ग के लोगों को अपने ही समुदाय के उन सदस्यों की कीमत पर आरक्षण का लाभ उठाना जारी रखना चाहिए जो गरीबी में जी रहे हैं और सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

पिछले साल जस्टिस गवई ने क्या कहा था

जस्टिस कांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने इस मसले पर सुनवाई करने की चुनौती इतनी कठिन नहीं होगी क्योंकि जस्टिस बीआर गवई, जो दलित समुदाय से भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले दूसरे सदस्य हैं, द्वारा लिखित सात न्यायाधीशों की पीठ के फैसले ने पिछले साल 1 अगस्त को राज्यों को सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व के आधार पर अनुसूचित जाति समुदायों के भीतर जातियों का उप-वर्गीकरण करने की अनुमति दी थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 15 प्रतिशत आरक्षण का बड़ा हिस्सा सबसे पिछड़े वर्गों को मिले। तब न्यायालय ने सरकारों से अनुसूचित जातियों के क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ उठाने से रोकने के लिए उपयुक्त मानदंड तैयार करने को कहा था।

एससी/एसटी मुकदमे में फर्जी फंसाने वाले वकील को विशेष न्यायाधीश ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 5 लाख 10 हजार का लगा जुर्माना

अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न अधिनियम और दुराचार जैसे मामलों में झूठा फंसाकर लोगों का जीवन बर्बाद करने के एक प्रकरण में लखनऊ की विशेष अदालत के एडीजे विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। इस निर्णय में आरोपी अधिवक्ता को आजीवन कारावास की सजा के साथ 5,10,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

विशेष लोक अभियोजक अरविंद मिश्रा ने बताया कि लखनऊ के एसीपी राधारमण सिंह ने पूजा रावत द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे की विवेचना के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर एक प्रकीर्ण वाद (सुपुर्दन प्रार्थना पत्र) दाखिल किया था। एसीपी राधारमण सिंह के अनुसार, पूजा रावत ने लखनऊ निवासी अरविंद यादव और उनके भाई अवधेश यादव के विरुद्ध अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।

विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि किराए के कमरे के कब्जे को लेकर पूजा रावत और अधिवक्ता परमानंद गुप्ता ने आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। जांच में यह पूरी घटना असत्य पाई गई। छेड़छाड़ जैसे झूठे मुकदमे कराए । दर्ज मुकदमे की कार्यवाही के दौरान पूजा रावत ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर स्वीकार किया कि परमानंद गुप्ता और अरविंद यादव के बीच जमीनी विवाद चल रहा था, जो सिविल कोर्ट में विचाराधीन था। इस कारण परमानंद गुप्ता ने पूजा रावत के अनुसूचित जाति से होने का दुरुपयोग करते हुए अरविंद यादव और उनके भाई के विरुद्ध दुराचार और छेड़छाड़ जैसे झूठे मुकदमे दर्ज कराए। इस संबंध में न्यायालय में समाधान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने अपना निर्णय सुनाया, जिसमें दोष सिद्ध होने पर अधिवक्ता परमानंद गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा तथा 5,10,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। वहीं, झूठा आरोप लगाने वाली पूजा रावत को दोषमुक्त करते हुए रिहा कर दिया गया। न्यायालय ने उसे चेतावनी भी दी कि भविष्य में यदि वह अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए आपराधिक षड्यंत्र के तहत बलात्कार या सामूहिक बलात्कार जैसे मुकदमे दर्ज कराती है, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in